भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1699

(दिनांक 29.07.2026 को उत्तर देने के लिए)

लाइव कार्यक्रम विकास प्रकोष्ठ

1699. श्रीमती डी. के. अरुणाः

श्री कृपानाथ मल्लाहः

श्री दिलेश्वर कामैतः

श्री अशोक कुमार रावतः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) लाइव कार्यक्रम विकास प्रकोष्ठ (एलईडीसी) के गठन के बाद से इसके द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है और अब तक आयोजित इसकी चार बैठकों के प्रमुख परिणाम क्या रहे हैं;

(ख) मॉडल कार्यकारी आदेश, 2026 को अपनाने वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की संख्या कितनी है;

(ग) इंडिया सिने हब (आईसीएच) पोर्टल पर एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली के माध्यम से दी गई कार्यक्रम-संबंधित अनुमतियों की संख्या कितनी है; और

(घ) कार्यक्रम आयोजकों के लिए अवसंरचना और व्यापार सुगमता के उपायों सहित वर्ष 2030 तक भारत को लाइव कार्यक्रमों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरुगन)

(क) से (घ): सरकार ने लाइव इवेंट्स (कार्यक्रम) क्षेत्र की आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन, पर्यटन और सांस्कृतिक प्रचार के एक महत्वपूर्ण प्रेरक क्षेत्र के रूप में पहचान की है।

क्षेत्र के सतत विकास को सुगम बनाने और वर्ष 2030 तक भारत को लाइव इवेंट्स के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए, जुलाई 2025 में लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल (एलईडीसी) का

गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता सचिव (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) द्वारा की जाती है और इसमें केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, उद्योग संघों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

एलईडीसी की चार बैठकें क्रमश: दिनांक 26.08.2025, 16.10.2025, 04.02.2026 और 30.04.2026 को आयोजित की गईं और इसने अवसंरचना को मजबूत करने, विनियामक प्रक्रियाओं को आसान बनाने, व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने और लाइव इवेंट्स क्षेत्र के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

इनके प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं:

- क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक रणनीति निर्धारित करने वाला एक कार्यान्वयन ढांचा तैयार किया गया है और सभी हितधारकों को परिचालित किया गया है।
- लाइव इवेंट्स की अनुमति प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है और इसे इंडिया सिने हब (आईसीएच) पोर्टल पर चालू कर दिया गया है। यह आवेदन, समन्वय, अनुमोदन, भुगतान और निरीक्षण को शामिल करने वाला एक एकल डिजिटल वर्कफ़्लो प्रदान करता है, जिसमें समयबद्ध प्रसंस्करण, रियल टाइम ट्रैकिंग, देरी का एस्केलेशन, एकीकृत डिजिटल भुगतान और डिजिटल ऑडिट ट्रेल शामिल हैं।
- 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आईसीएच पोर्टल पर लाइव इवेंट की अनुमति के लिए अपने नोडल अधिकारी नामित किए हैं।
- एलईडीसी द्वारा "भारत में लाइव इवेंट्स के लिए लाइसेंसिंग और अनुमतियों को सुव्यवस्थित करने हेतु मॉडल कार्यकारी आदेश, 2026" तैयार किया गया है और 13.03.2026 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है। वर्तमान में, 3 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने इसे लागू किया है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित स्मारकों में लाइव कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है और इस उद्देश्य के लिए 224 विरासत स्थलों की सूची साझा की है।
- ग्रीनफील्ड वेन्यू विकास नीति पर एक अवधारणा नोट तैयार किया गया है और इसे राज्य सरकारों, खेल प्राधिकरणों और उद्योग हितधारकों को परिचालित किया गया है।
- एक कौशल समिति का गठन किया गया है। भारतीय जन संचार संस्थान ने मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल और इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन के सहयोग से, लाइव इवेंट्स

में प्रमाणपत्र और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों तथा अपने मौजूदा कार्यक्रमों में वैकल्पिक मॉड्यूल से संबंधित प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है।

- एलईडीसी ने आगंतुक कलाकारों और क्रू के लिए वीज़ा और एफआरआरओ सुविधा, खेल और विरासत स्थलों के उपयोग, संगीत लाइसेंसिंग को सुव्यवस्थित करने, रात्रि 10 बजे के बाद आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए अनुमति, कराधान और वित्त तक पहुंच से संबंधित मुद्दों की पहचान की है और इन्हें संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ विचारार्थ साझा किया है।
- एलईडीसी की सिफारिश पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 जनवरी 2026 को अधिसूचित 'विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम, 2026' के तहत सेवाओं के आयात के लिए 5,00,000 अमेरिकी डॉलर और उससे अधिक के अग्रिम प्रेषण के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। ये विनियम दिनांक 01.10.2026 से प्रभावी होंगे।
